October 26, 2024

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza", 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051

NSE Symbol: APOLLOPIPE

Department of Corporate Services/Listing
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

SCRIP Code: 531761

Dear Sir/Madam,

Sub: Copy of Newspaper Cuttings of Financial Results (Standalone & Consolidated)

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of Newspaper cuttings of the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2024, as approved by the Board of Directors in their Meeting held on October 25, 2024, and published in Business Standard Newspaper (English & Hindi edition) on October 26, 2024.

Submitted for your kind information and necessary records.

Yours Truly
For Apollo Pipes Limited

ANKIT SHARMA
Digitally signed by ANKIT SHARMA
Date: 2024.10.26 11:21:52 +05'30'

Ankit Sharma
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: A/a

अपोलो पाइप्स लिमिटेड

सीआईएनः L65999DL1985PLC022723
पंजीकृत कार्यालयः 37, हरगोविंद एन्कलेव, विकास मार्ग, दिल्ली–110092
कारपोरेट कार्यालयः प्लाट नं. ए–140, सेक्टर–136, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301
ईमेलः compliance@apollopipes.com, वेबसाइटः www.apollopipes.com

30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का सार (₹ लाखों में ईपीएस आंकड़ों को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त 30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	छमाही समाप्त 30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	छमाही समाप्त 30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1	कुल आय	**20112.02**	24104.86	25076.43	**44216.88**	51227.6	98104.24
2	ईबीआईडीटीए	**1864.12**	2515.39	2544.78	**4379.52**	5279.28	9925.43
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों से पूर्व)	**629.34**	1479.67	1751.47	**2109.01**	3668.87	6444.25
4	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	**629.34**	1479.67	1751.47	**2109.01**	3668.87	6444.25
5	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	**447.32**	1088.15	1291.87	**1535.48**	2684.34	4243.94
6	अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल]	**1349.24**	1087.83	1292.56	**2437.07**	3704.82	5260.7
7	इक्विटी शेयर पूंजी	**4135.32**	4135.32	3932.82	**4135.32**	3932.82	3935.32
8	अन्य इक्विटी (आरक्षित)						53449.38
9	प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ₹10/– प्रत्येक,तिमाही आंकड़ों के लिए वार्षिकीकृत नहीं)						
	बेसिकः	**1.08**	2.63	3.28	**3.71**	6.83	10.78
	डायल्यूटेडः	**1.07**	2.60	3.20	**3.68**	6.68	10.54

नोटः
1. 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सारः

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त 30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	छमाही समाप्त 30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	**25,107.80**	30,948.13	**56,055.93**	99085.18
2	कर पूर्व लाभ	**576.91**	1,779.55	**2,356.47**	6482.58
3	कर पश्चात लाभ	**394.89**	1,388.04	**1,782.93**	4282.56

2. ऊपर सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज(ओं) अर्थात https://www.bseindia.com और https://www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट "www.apollopipes.com" पर उपलब्ध है।
3. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और बाद में निदेशक मंडल द्वारा 25 अक्टूबर, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।

हिते अपोलो पाइप्स लिमिटेड
हस्ता./–
समीर गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नोएडा
दिनांकः 25 अक्टूबर, 2024

4155
23/07/24 Form No. 3
[See Regulation-15 (1) (a)] / 16(3)]

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR

First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur- 302015

Case no.: OA/1269/2023

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Exh. No **12938**

IDBI BANK VS **SAMITA GUPTA**

To, (1) **Samita Gupta D/W/S/O Mukesh Gupta,** 3 Mandir Laxmi Narayan Ka Laxmi Narayan Puri Surajpol Tehsil And District Jaipur, Rajasthan-302003. **(2) Mukesh Gupta,** 3, Mandir Laxmi Naryan Ka, Laxmi Narayran Puri, Surajpol, Tehsil and District Jaipur Jaipur, Rajasthan-302003

SUMMONS

WHEREAS, **OA/1269/2023** was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on **19.07.2024.**
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs. 5310619/-** (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-
(I) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before **Registrar** on **28/10/2024 at 10:30A.M.** Failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Give under my hand and the seal of this Tribunal on this date: **20.07.2024.**

Seal **Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal, Jaipur**

एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

LIC HFL
LIC HOUSING FINANCE LTD
With you, for your dream home

बैक ऑफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, असफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]
प्रतीकात्मक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि, **एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (अध्यादेश 3 ऑफ 2002) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार एक मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें नीचे उल्लेखित कर्जदार को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर यहां नीचे उल्लेखित सूचना में वर्णित रकम + उस पर उपार्जित ब्याज तथा अन्य शुल्क की रकम चुकता करने को कहा गया था।
कर्जदार द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित अध्यादेश की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियम के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लेखित तारीख को यहां नीचे वर्णिच सम्पत्ति पर **प्रतीकात्मक कब्जा** कर लिया गया है।
विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम तौर पर जन साधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर यहां नीचे उल्लेखित रकम + उस पर उपार्जित ब्याज तथा अन्य शुल्क की रकम के लिए **एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.	आवेदक एवं सह-आवेदक का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख	कब्जा सूचना की तारीख	मांग सूचना के अनुसार रकम	कब्जा का प्रकार
1.	**आवेदकः श्री भूपेश सह-कर्जदारः श्रीमती गुंजन ऋण खाता नं.: 310500003903 एवं 310500004934**	फ्लैट नं. एस-1311, तेरहवीं मंजिल, सफायर टावर, कृष औरा, कॉसमोस ग्रीन सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के सामने, भिवाड़ी, राजस्थान-301019 में सम्मिलित सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। **चौहद्दीः उत्तर मेंः** कॉसमोस इंफ्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड एवं एमवीएल कोरल की भूमि, **दक्षिण मेंः** ग्राम कानपुर की भूमि, **पूर्व मेंः** खसरा नं. 550, **पश्चिम मेंः** अन्य की भूमि।	05.02.2024	21.10.2024	रु. **22,00,843.33** साथ में उस पर ब्याज एवं अन्य शुल्क	प्रतीकात्मक कब्जा
2.	**आवेदकः श्रीमती रेखा मिश्रा सह-कर्जदारः श्री अर्जुन मिश्रा ऋण खाता नं.: 310200003805**	अजारी खसरा नं. 42/7 का हिस्सा, पार्ट नं. 110, 111, 126 एवं 127 खसरा का हिस्सा 50 वर्ग यार्ड परिमाप 10 जराब 45 फीट जानिब दक्षिणी मध्यम भाग, एमसीएफ नं. 7875/4822 सी/5, संजय कॉलोनी, फरीदाबाद (अच्छादित क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट) में सम्मिलित सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। **चौहद्दीः उत्तर मेंः** शेष हिस्सा, **पूर्व मेंः** 15 फीट सड़क, **पश्चिम मेंः** शेष हिस्सा, **दक्षिण मेंः** अन्य का प्लॉट।	22.07.2024	21.10.2024	रु. **12,17,430.95** साथ में उस पर ब्याज एवं अन्य शुल्क	प्रतीकात्मक कब्जा
3.	**आवेदकः श्री दया राम यादव ऋण खाता नं.: 14011056999**	म्यूटेशन नं. 10887 दिनांक 23.02.2005 मुतातिल नं. 41, किला नं. 04 के मार्फत संजय कॉलोनी, सेक्टर 52, एनआईटी फरीदाबाद में स्थित पहली मंजिल पर 110 वर्ग यार्ड परिमाप का मकान नं. एफ-8340 ए सम्मिलित सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। **चौहद्दीः उत्तर मेंः** प्लॉट नं. 8345, **पूर्व मेंः** प्लॉट नं. 8341एफ, **पश्चिम मेंः** प्लॉट नं. 8340बी, **दक्षिण मेंः** 22 फीट चौड़ी सड़क।	26.07.2024	21.10.2024	रु. **8,88,203.81** साथ में उस पर ब्याज एवं अन्य शुल्क	प्रतीकात्मक कब्जा

ऊपर उल्लेखित बकाया रकम साथ में मांग सूचना की तारीख से उस पर उर्पाजित आगे के ब्याज तथा अन्य शुल्क की रकम।

तारीखः 25.10.2024 **स्थानः** नई दिल्ली **अधिकृत अधिकारी,** एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस लि.

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI
Bank of India

आंचलिक कार्यालयः दिल्ली एनसीआर जोन
#बत्रा हाउस, प्लॉट नं. 52, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122003, हरियाणा
दूरभाषः 0124–2308404/2388409

ई–नीलामी बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के चल सम्पत्तियों हेतु नियम 6(2) और अचल सम्पत्तियों हेतु नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री। सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से ऋणी और गारंटर(रों) को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/दृष्टिबंधक/गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति(यां), जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के रूप में बैंक ऑफ इंडिया की निम्नलिखित शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के प्रासंगिक खाते में बकाये निम्नलिखित राशियों की वसूली के लिए **"जहां है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर 11.11.2024 को बिक्री की जायेगी। प्रत्येक खाते/संपत्तियों के सामने आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि का उल्लेख किया गया है। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेब पोर्टल **https://ebkray.in** पर प्रदान किए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

क्र. सं.	शाखा का नाम तथा खाता	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / संविदा वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय
	नूंह शाखाः– नूंह, तहसील नूंह, जिला नूंह, मेवात – 122107, मो. 8930069395 ई–मेलः– nuh.delhincr@baiikofindia.co.in आईएफएससी कोडः BKID0006747, खाता संख्याः 674790200000033, खाता नामः इंटरमीडियरी इनवार्ड आउटवार्ड रेमिटेंस एकाउंट				
1.	**कर्जदारः– श्री सुनील गुप्ता पुत्र विक्रम प्रसाद गुप्ता। गारंटरः– श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री बनारसी भगत।**	प्लॉट संख्या 48 से बनी संपत्ति का समस्त भाग, जो खसरा संख्या 92/13 में आता है, सुभाष कॉलोनी, मौजा बल्लभगढ़ में स्थित है, पंजीकरण उप–जिला बल्लभगढ़ और जिला फरीदाबाद, हरियाणा –121101 के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामित्व और कब्जा श्री सुनील गुप्ता पुत्र श्री विक्रम के पास है। सीमाएँः– उत्तर मेंः सुरेंदर की संपत्ति; दक्षिण मेंः 15' चौड़ा रास्ता; पूर्व मेंः ओमबती की संपत्ति; पश्चिम मेंः खाली प्लॉट।	रु. 28,76,923.31 + उस पर ब्याज, अन्य प्रभार / 29.04.2024 / 23.07.2024 / सांकेतिक कब्जा	रु. 29.62 लाख / रु. 2.96 लाख / रु. 10,000/–	11.11.2024 11:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.
	भिवानी शाखाः क्लॉक टावर, सर्कुलर रोड, भिवानी, हरियाणा –127021, मो.: 8059244373, ई–मेलः bhiwani.delhincr@bankofindia.co.in आईएफएससी कोडः BKID0006770, खाता संख्याः 677090200000033, खाता नाम : इंटरमीडियरी इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस अकाउंट				
2	**कर्जदारः– श्री सचिन कुमार पुत्र श्री कुंज लाल गुप्ता, सह–आवेदक : (1) श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री कुंज लाल गुप्ता (2) श्रीमती उषा रानी पत्नी श्री कुंज लाल गुप्ता**	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें 0–3–1/2 मारिया (100 वर्ग गज), अर्थात 62 कनाल 10 मरला भूमि का 13/5000वां हिस्सा, जिसका खेवट नंबर 1802/1713, खसरा नंबर 91//24/2 90/721/1(4–11), 91//25/1 (4–0), 25/2/1(0–17), 91/725/2/5(1–2), 25/2/3(0–13), 25/2/2(0–6), 25/2/4(1–2), म्यूटेशन संख्या 19812 पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 8661 दिनांक 11.12.2014 उषा रानी, सचिन कुमार और अमित गुप्ता के नाम पर राजस्व राज्य मौजा भिवानी जोनपाल–II, जिसे अब शांति नगर, भिवानी, तहसील और जिला भिवानी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित सीमाबद्धः उत्तर मेंः श्रीमती दीपिका का प्लॉट; दक्षिण मेंः पति राम कुमार; पूर्व मेंः सड़क; पश्चिम मेंः दुर्गा सैनी का प्लॉट।	रु. 7,28,959.15 + ब्याज + उस पर अन्य प्रभार / 25.02.2022 / 12.10.2023 / सांकेतिक कब्जा	रु. 25.82 लाख / रु. 2.58 लाख / रु. 10,000/–	11.11.2024 11:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.
	तिगांव शाखा – ग्राम पोस्ट तिगांव, जिला फरीदाबाद, हरियाणा –121101, मो.: 9711590104 ई–मेलः tlgaon.delhlncr@bankoflndla.co.ln आईएफएससी कोडः BKID0006731, खाता संख्याः 673190200000033, खाता नामः इंटरमीडियरी इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस अकाउंट				
3	**कर्जदार : श्रीमती मोहिनी चक्रवर्ती गारंटर : श्री देव राज**	प्लॉट नंबर 1, 166 वर्ग गज (25 x 60) से बनी संपत्ति का समस्त भाग, खेवट/खाता नंबर 866/1206, रेक्ट नंबर 40, किला नंबर 12 मिन (5–7) का हिस्सा है, आदर्श नगर, मौजा ऊंचा गांव, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में स्थित है। इसकी सीमा इस प्रकार हैः उत्तर मेंः अन्य संपत्ति; दक्षिण मेंः सड़क; पूर्व मेंः श्री देवराज की संपत्ति; पश्चिम मेंः प्लॉट नंबर 2	रु. 37,59,163.29 + उस पर ब्याज + अन्य प्रभार / 04.07.2024 / 20.09.2024/ सांकेतिक कब्जा	रु. 36.64 लाख / रु. 3.66 लाख / रु. 10,000/–	11.11.2024 11:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.
	झज्जर शाखा – राव तुला राम चौक, सिलानी गेट, झज्जर –124103, मोबाइलः 9728845161 ई–मेलः jhajjar.delhincr@banknfindia.cn.in आईएफएससी कोडः BKID0006745, खाता संख्याः 674590200000033, खाता नामः इंटरमीडियरी इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस अकाउंट				
4	**कर्जदार : श्री रमेश कुमार पुत्र श्री छत्तर सिंह गारंटर : श्री रविन्दर**	70 वर्ग गज की रिहायशी संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें खसरा नंबर 558, इंतकाल नंबर 30577, सेल डीड नंबर 1491 दिनांक 27.06.2002 शामिल है, हाउस नंबर 665, वार्ड नंबर 27, गली नंबर 5, देव नगर, झज्जर रोड, बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में रमेश कुमार पुत्र श्री चत्तर सिंह के नाम पर स्थित है। इसकी सीमा इस प्रकार हैः– पूर्व मेंः जगत की संपत्ति; पश्चिम मेंः 15 फीट चौड़ी गली; उत्तर मेंः भूषण का घर; दक्षिण मेंः दूसरों का प्लॉट।	रु. 17,41,148.97/– + उस पर ब्याज + अन्य प्रभार / 01.09.2023 / 27.05.2024 / सांकेतिक कब्जा	रु. 24.85 लाख / रु. 2.48 लाख / रु. 10,000/–	11.11.2024 11:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.
	चरखी दादरी शाखा – चरखी दादरी, हरियाणा –127306, मोः 9982356401 ई–मेलः charkhidadri.delhincr@bankofindia.co.in आईएफएससी कोडः BKID0006771, खाता संख्याः 677190200000033, खाता नामः इंटरमीडियरी इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस अकाउंट				
5	**कर्जदार : श्रीमती शर्मिला एवं मैसर्स सांझ ब्यूटी मेकअप मंत्रा, प्रोप. शर्मिला के माध्यम से**	5 मरला (150 वर्ग गज) माप वाली गृह संपत्ति का न्यायसंगत बंधक, खेवट नंबर 1828, खतौनी नंबर 2116, खसरा नंबर 245//12/2–18/2–19–20–21–22 पर स्थित है, कुल 39 कनाल 11 मरला, जिसमें से 5/791 हिस्सा यानी 5 मरला जमाबंदी 2012–13 भिवानी लोहार के अनुसार, वर्तमान में खेवट नंबर 1813, खतौनी नंबर 2076 जमाबंदी 2017–18 के अनुसार बिक्री विलेख संख्या 172 दिनांक 11.05.2020 के अनुसार श्रीमती शर्मिला पत्नी श्री नवीन के स्वामित्व में है। इसकी सीमाः– उत्तरः मुकेश का प्लॉट 45'; दक्षिणः सुधा का प्लॉट 45'; पूर्वः स्ट्रीट 30'; पश्चिमः सावित्री 30' का प्लॉट।	रु. 35,73,317/– + उस पर ब्याज + अन्य प्रभार / 15.09.2022 / 28.08.2023 / सांकेतिक कब्जा	रु. 26.84 लाख / रु. 2.68 लाख / रु. 10,000/–	11.11.2024 11:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.
	रोहतक शाखाः गंगा पैलेस कॉम्प्लेक्स, सुभाष रोड, रोहतक, हरियाणा –124001, मो.: 8607699295, ई–मेलः Rohtak.delhincr@bankofindia.co.in आईएफएससी कोडः BKID0006720, खाता संख्याः 672090200000033, खाता नामः इंटरमीडियरी इनवार्ड आउटवार्ड रेमिटेंस एकाउंट				
6	**कर्जदारः– श्रीमती पूनम सैनी पत्नी श्री सचिन सैनी एवं श्री सचिन सैनी पुत्र श्री भारत सैनी, दोनो निवासी म.नं. 233/3, वार्ड नं. 5, जैन सराय मोहल्ला, सिविल रोड, रोहतक जिला रोहतक**–124001	संपत्ति का वह समस्त भाग जो मकान संख्या 233/3 (संपत्ति आईडी 94सी31यू254), वार्ड संख्या 5, जैन सराय मोहल्ला, सिविल रोड, रोहतक, जिला रोहतक में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 148.66 वर्ग गज है तथा जो नगर निगम सीमा, रोहतक के भीतर है, तथा जिसका स्वामित्व श्रीमती पूनम सैनी और श्री सचिन सैनी के पास है।	रु. 16,91,376.49 + उस पर ब्याज, अन्य प्रभार / 29.01.2024 / 01.05.2024 / सांकेतिक कब्जा	रु. 52.02 लाख / रु. 5.20 लाख / रु. 10,000/–	11.11.2024 11:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.
7	**कर्जदारः– श्रीमती लता देवी पत्नी श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण पुत्र श्री सूबे सिंह**	मौजा सुनारी कलां श्री राम नगर कॉलोनी, रोहतक में स्थित/शामिल संपत्ति का समस्त भाग, क्षेत्रफल 63.33 वर्ग गज है, श्रीमती लता पत्नी श्री कृष्ण की स्वामित्व वाली है। सीमाः– उत्तर मेंः 15 फीट चौड़ा रास्ता; दक्षिण मेंः दूसरों की संपत्ति; पूर्व मेंः सावित्री देवी का प्लॉट; पश्चिम मेंः ज्योति स्कूल	रु. 10,23,388.83 + उस पर ब्याज, अन्य प्रभार / 29.08.2023 / 11.12.2023 / सांकेतिक कब्जा	रु. 15.30 लाख / रु. 1.53 लाख / रु. 10,000/–	11.11.2024 11:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.
	बल्लभगढ़ शाखाः आकाश सिनेमा कॉम्प्लेक्स, मोहन रोड, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद मोः 9005792975, ई–मेलः Ballabgarh.delhincr@bankofindia.co.in आईएफएससी कोडः BKID0006702, खाता संख्या 67029020000033 खाता नामः इंटरमीडियरी इनवार्ड आउटवार्ड रेमिटेंस एकाउंट				
8	**कर्जदारः– श्री दीपक कुमार गर्ग पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद गर्ग एवं श्रीमती नेहा गर्ग पुत्री श्री गोविन्द प्रसाद गर्ग**	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें प्लॉट नंबर 85 ईस्ट, खसरा नंबर 74/2 एमसीएफ नंबर 110, गली नंबर 54/4, संजय कॉलोनी, सेक्टर 23, तहसील और जिला, फरीदाबाद हरियाणा – 121001 में स्थित आवासीय संपत्ति शामिल है, जिसका माप 71.00 वर्ग गज है, पंजीकरण उप–जिला बड़खल और जिला फरीदाबाद के भीतर श्री दीपक कुमार गर्ग पुत्र श्री गोविंद प्रसाद गर्ग और श्रीमती नेहा गर्ग पुत्री श्री गोविंद प्रसाद गर्ग के नाम पर है। उत्तर में सड़क, दक्षिण में प्लॉट नंबर 1109, (पुराना प्लॉट नंबर 84) पूर्व में गली और पश्चिम में प्लॉट नंबर 1110 (शेष भाग) (पुराना प्लॉट नंबर 85) सरसाई एसेट आईडीः 400016686167	रु. 24,28,921.62 + उस पर ब्याज, अन्य प्रभार / 12.07.2023 / 13.09.2023 / सांकेतिक कब्जा	रु. 31.62 लाख / रु. 3.16 लाख / रु. 10,000/–	11.11.2024 11:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं :
(1) यह बिक्री **"ऑन लाइन"** ई–नीलामी पोर्टल **https://ebkray.in** के माध्यम से **"जहां है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वही है"** आधार पर संचालित की जायेगी।
(2) ई–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें वेबसाइटों **(a) https://www.bankofindia.co.in: (b) https://ebkray.in** पर उपलब्ध हैं। बोलीदाता **https://ebkray.in** पर जा सकते हैं जहां शैक्षिक वीडियो के साथ बोलीदाताओं के लिए 'दिशानिर्देश' उपलब्ध हैं। बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को काफी पहले पूरा करना होगाः चरण 1ः बोलीदाता/क्रेता पंजीकरणः बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर और ई–मेल–आईडी का उपयोग करके ई–नीलामी प्लेटफॉर्म (ऊपर दिया गया लिंक) पर पंजीकरण करना होगा। चरण 2ः बोलीदाता को ईएमडी राशि का हस्तांतरण वैश्विक ईएमडी वॉलेटः एनईएफटी का उपयोग करके ऑनलाइन/ऑफलाइन निधि का हस्तांतरण/ई–नीलामी प्लेटफॉर्म पर उत्पन्न चालान का उपयोग करके हस्तांतरण। चरण 3ः बोलीदाता प्रक्रिया और नीलामी परिणामः इच्छुक पंजीकृत बोलीदाता चरण 1 और 2 को पूरा करने के बाद ई–नीलामी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं।
(3) प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति/यों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ऋणभारों, नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति/यों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देयताओं/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन से बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं बनता है और न ही इसे माना जाएगा। बैंक को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भावी ऋणभारों के साथ संपत्ति को बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति/यों के संबंध में ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के बाद किसी भी प्रकार के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
(4) ऑनलाइन ई–नीलामी की तिथि 11.11.2024 को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे के बीच होगी।
(5) ईएमडी और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि और समय 11.11.2024 तक।
(6) निरीक्षण की तिथि 8.11.2024 को दोपहर 1:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक उपर्युक्त शाखा के साथ पूर्व अनुमति के साथ।
(7) बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।
(8) प्रस्तुत किया जाने वाला बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होगा और बोली लगाने वाले अपने आगे के प्रस्ताव को ऊपर बताए गए गुणकों में सुधारेंगे।
(9) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने और ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।
(10) यह माना जायेगा कि बोलीदाताओं ने बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वह इसके द्वारा बाध्य है।
(11) इच्छुक बोलीदाताओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति का निरीक्षण करें और स्वयं को संतुष्ट कर लें।
(12) सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।
(13) जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाता को पहले से प्रदत्त ईएमडी सहित बिक्री मूल्य का 25% तुरन्त या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक जमा करना होगा और शेष बिक्री मूल्य बिक्री के 15 वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक होने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
(14) न तो प्राधिकृत अधिकारी/बैंक और न ही ई–नीलामी सेवा प्रदाता किसी भी इंटरनेट नेटवर्क समस्या/बिजली की विफलता/किसी अन्य तकनीकी चूक/विफलता आदि के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थिति को दूर करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि यह सुनिश्चित कर लें कि वे ई–नीलामी कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से पर्याप्त पावर बैक–अप आदि से सुसज्जित हैं।
(15) क्रेता लागू स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क/नीलामी मूल्य/अन्य शुल्कों पर टीडीएस आदि का वहन करेगा और साथ ही किसी को देय सभी सांविधिक/गैर–सांविधिक बकायों, करों, निर्धारण प्रभारों आदि का भी वहन करेगा।
(16) प्राधिकृत अधिकारी/बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्थगित करने, ई–ऑडियो को स्थगित करने/रद्द करने या किसी भी संपत्ति या बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर नीलामी की कार्यवाही से उसके हिस्से को वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
(17) बिक्री प्रमाणपत्र केवल क्रेता/आवेदक(कों) के नाम से जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम(मों) में जारी नहीं किया जाएगा।
(18) यह बिक्री, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। बिक्री के नियमों और शर्तों पर आगे के विवरण/पूछताछ संबंधित शाखाओं से दिए गए संपर्क नंबरों पर प्राप्त की जा सकती है।
(19) बिक्री के अधिक विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट यानी **https:\\www.bankofindia.co.inI https://ebkray.in** में दिए गए लिंक को देखें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(2) और 8(6) के तहत कर्जदार/रों और जमानती/यों को 15 दिनो की विधिक बिक्री सूचना

बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी के पास बिक्री के इस नोटिस को जारी करने और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं उसके तहत निर्मित नियमों के तहत बिक्री की सभी शक्तियों का प्रयोग करने की पूरी शक्तियां हैं। आपने उपर्युक्त बैंक द्वारा प्रदान किए गए अग्रिमों के संबंध में मासिक रेस्ट्स, लागत और शुल्क आदि के साथ बकाया देय राशि और ब्याज के भुगतान में चूक की है। इसलिए, बैंक ने आपको धारा 13(2) के तहत 60 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की है। आप 60 दिन की समाप्ति के बाद भी राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। इसलिए, प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित अनुसूची में वर्णित प्रतिभूत संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। एतदद्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि बिक्री के लिए निर्धारित तिथि से पहले उपरोक्त वर्णित राशि का भुगतान करने में असफल होने पर संपत्ति को बेच दिया जाएगा और शेष राशि यदि कोई हो तो आपसे ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि मांग सूचना, कब्जे में लेने, संपत्ति का मूल्यांकन और बिक्री आदि से संबंधित सभी खर्चों को पहले बिक्री आय से घटाया जाएगा, जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा वसूल किया जा सकता है और बिक्री की शेष राशि को आपकी देनदारी के रूप में पूर्वोक्त रूप से विनियोजित किया जाएगा। आप धरोहर राशि जमा करने सहित नियमों और शर्तों पर होने वाली नीलामी में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

तिथि : 25.10.2024 स्थान : दिल्ली/रा.रा.क्षे. **अधिकृत प्राधिकारी**